UPAD010082462026

**न्यायालय अपर विशेष न्यायाधश, पाक्सो, कक्ष संख्या–1, प्रयागराज।**
**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र–2972/2026**
**रोहित तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार।**

मु0नं0–209/2025
मु0अ0सं0–190/2024
धारा–85,115(2), 352, 351(3), 82(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–जार्जटाउन, जिला–प्रयागराज।

**दिनांक 03.08.2026**

**1**. अभियुक्त रोहित तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मण तिवारी, निवासी मकान नं0–289जे/3 अल्लापुर तिलक नगर, थाना जार्जटाउन, जनपद प्रयागराज की ओर से मु0नं0–209/2025, मु0अ0सं0–190/2024, धारा–85, 115(2), 352, 351(3), 82(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना जार्जटाउन, जनपद–प्रयागराज में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

**2**. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा काजल मिश्रा द्वारा जरिये तहरीर थाना जार्जटाउन में सूचना दी गयी कि वादिनी की शादी विपक्षी रोहित तिवारी के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार दिनांक 13.02.2020 को साथ सम्पन्न हुई थी। शादी में वादिनी के पिता ने दान दहेज सहि त मु0-30,00,000/- (तीस लाख रूपया) खर्च किया। प्रार्थिनी बिदा होकर अपने ससुराल गयी। शादी के कुछ दिन बाद प्रार्थिनी के पति रोहित तिवारी, ससुर लक्ष्मण तिवारी, सास किरन तिवारी, ननद अंकिता तिवारी व अकांक्षा तिवारी दान दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे तुम्हारे पिता ने स्विफ्ट डिजायर कार और ससुर लक्ष्मण तिवारी को सोने की चैन नहीं दिया। अगली बार मायके जाना तो लेकर आना नहीं तो घर में रहने नहीं देगें। प्रार्थिनी ने कहा मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि अब और गाड़ी व चैन दे सके। उपरोक्त लोग एकराय होकर माँ, बहन की भद्दी-2 गाली देने लगे और लाठी डण्डे से बुरी तरह मारा-पीटा और कहा कि हम लोगों की शिकायत करोगी, तो तुमको जान से मारकर फेंक देगें। इस पर प्रार्थिनी ने माँ, बहन को नहीं बताया और सहन करती रही। एक दिन घर में कोई नहीं था। सब लोग बाहर गये थे, तो प्रार्थिनी के ससुर आये और बाथरूम में ताक झाक करने लगे। मौका पाकर प्रार्थिनी का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगे। प्रार्थिनी किसी तरीके से अपना हाथ छोड़ाकर अपने कमरे में चली गयी और दरवाजा बंद कर लिया और अपने माँ, बाप को यह बात बतायी। इस पर प्रार्थिनी के पिता ने प्रार्थिनी को अपने साथ अपने घर लेकर आये। तबसे प्रार्थिनी अपने मायके रह रही है। दिनांक 16.07.2024 को रोहित तिवारी के पिता लक्ष्मण तिवारी का फोन लड़की के पिता के पास आया 04:50 मिनट पर शाम को और उन्होंने हीरा-हलवाई चौराहे पर लड़की के पिता को बुलवाया। लड़की के पिता से कहा लड़के कि हम लोगों ने दूसरी शादी कर दी है और लड़की का नाम सोनी तिवारी पुत्री

स्व0 विजय तिवारी माता प्रेमा तिवारी है, मो0नं0-9555042989 से हुयी है और वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है तथा घर में दोनों साथ में रह रहे हैं, जिससे यह सुनकर लड़की के पिता बेशुद्ध होकर वहाँ विलाप करने लगे। लडके के पिता ने बोला कि सुबह आप अपने परिवार के सभी सदस्य को लेकर मेरे घर आइये नहीं तो आपको और आपके पूरे परिवार को जान से मरवा दूँगा। सुबह लगभग 10:00 बजे लडकी के पिता अपनी बेटी और परिवार के साथ लक्ष्मण तिवारी के घर पहुँचे। उनका दरवाजा खुला था और सामान बिखरे हुए थे। यह देखकर परिवार के सभी लोग चकित हो गये और अन्दर जाकर ढूड़ने लगे और वहाँ लड़के के परिवार वालों में कोई नहीं मिला। फोन करने पर भी फोन भी नहीं उठाए। इस पर लडकी पागलों की तरफ इधर उधर गिरकर बेहोश होने लगी। इस पर लड़की के परिवार वालों ने लड़की को पकड़ने लगे। जिससे हाथ, पांव लड़कर सामान इधर उधर गिर गया। यह सब देखकर प्रार्थिनी ने 112 नं0 पर फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस आयी। तब प्रार्थिनी ने बताया मुझे और मेरे परिवार को फँसाने की साजिश किया गया है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए विपक्षीगण के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाए। वादिनी मुकदमा की तहरीर पर थाना जार्जटाउन में अभियुक्त सहित चार अन्य लोगों के विरूद्ध मु0अ0सं0–190/2024, धारा–85, 115(2), 352, 351(3), 75, 82(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

**3**. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त संभ्रान्त परिवार का सदस्य है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उसका कोई आपरधिक इतिहास नहीं है। वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया है। विवेचक द्वारा थाने में बैठकर विवेचना करके मात्र 8 माह में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। प्रस्तुत मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और गवाहों के बयान में विरोधाभाष है। वादिनी ने अभियुक्त पर दूसरी शादी का आरोप लगाया है। वादिनी ने जो साक्ष्य आरोपपत्र में दिया है, वह बिल्कुल झूंठे है क्योंकि वादिनी ने जिस सोनी तिवारी के साथ प्रार्थी की शादी होना कहा है वह वादिनी की रिश्तेदार है और वादिनी ने जिन फोटो को साक्ष्य में लगाया है वह फोटो प्रार्थी को झूंठे मुकदमे में फंसाने व बदला लेने की दुर्भावना से ए0आई0 द्वारा बनायी यी है। प्रार्थी ने वादिनी व उसके मायके वालों से कभी कोई दहेज की मांग नहीं किया है और न ही दहेज के लिए कभी प्रताड़ित किया है। वादिनी ने सुहागरात्रि के दिन प्रार्थी से विवाद किया कि उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गयी है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी। वादिनी अपनी मंशा को पूर्ण करने के लिए मनमाने ढंग से प्रार्थी के परिवार के लोगों से अभद्र व्यवहार करने लगी। प्रार्थी विवाह के पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था और एल0एल0बी0 की पढ़ाई कर रहा था और पूरी तरह बेरोजगार था। इसके बावजूद भी वह अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के संरक्षण में मुंशी के रूप में काम करके वादिनी का हर तहरह से ख्याल करता था। वादिनी के मायके वाले हमेशा वादिनी को प्रार्थी व उसके परिवार वालों के विरूद्ध हमेशा भड़काते थे। प्रार्थी अन्तिम बार दिनिांक 15.08.2021 को वादिनी की विदाई कराने हेतु उसके मायके गया किन्तु वादिनी ने प्रार्थी के साथ रहने से इंकार कर दिया और घर से भगा दिया। तब प्रार्थी ने वादिनी की विदाई हेतु प्रधान पारिवारिक न्यायालय में वैवाहिक वाद

संख्या–1328/2021, धारा–9 हिन्दू विवाह अधिनियम संस्थित किया। तब वादिनी ने प्रार्थी के विरूद्ध यह मुकदमा लिखा दिया है। दिनांक 17.07.2024 को जब प्रार्थी व उसके परिवार वाले विंध्याचल धाम गये थे तो वादिनी व उसकी माता–पिता व अन्य अज्ञात लोग उसके घर आये और मुख्य ताला तोड़कर घर के अन्दर घुस कर तोड़फोड़ किया और आलमारियों के ताले तोड़ कर सोने चांदी के जेवरात उठा ले गये, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी के पिता ने वादिनी व उसके मायके वालों के विरूद्ध अ0सं0–191/2024, धारा–324(4), 305(ए), 331(3), 351(3), 352 व 191(1) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत थाना जार्जटाउन में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त न तो सक्षम न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। न्यायहित में प्रार्थी की अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

**4**. सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

**5**. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा जमानत प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**6**. वादिनी मुकदमा द्वारा आवेदक/अभियुक्त पर दहेज हेतु प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण वह अपने मायके में रहने लगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी के दूसरे विवाह का भी आरोप लगाया गया है तथा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने दूसरी शादी सोनी तिवारी पुत्री स्व0 विजय तिवारी से किया है। विवेचक द्वारा केस डायरी में आवेदक/अभियुक्त का उसकी दूसरी पत्नी के साथ फोटो कागज संख्या–7ए/1 ता 7ए/5 संलग्न किया गया है। वादिनी मुकदमा ने अपने बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्त तथा उसके परिवारीजन पर दहेज हेतु प्रताड़ित करने तथा अपने ससुर पर बाथरूम के अन्दर ताकाझांकी तथा हाथ पकड़ कर खींचने का कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि उसके पति आवेदक/अभियुक्त रोहित मिश्रा द्वारा दूसरी औरत से शादी कर लिया गया है।

**7**. विचारण न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 28.05.2025 को प्रेषित किया गया, जिस पर उसी दिन प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण को सम्मन जारी किया गया। अभियुक्तगण किरण तिवारी तथा आकांक्षा तिवारी, अंकिता तिवारी व लक्ष्मण तिवारी विचारण न्यायालय में उपस्थित आ रहे है। सिर्फ आवेदक/अभियुक्त रोहित तिवारी न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा था, जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा जमानतीय वारण्ट जारी किया गया। प्रस्तुत मामले में महत्तम सजा 10 वर्ष तक की है। आवेदक/अभियुक्त जानबूझ कर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा था।

**8**. अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

**9**. अभियुक्त रोहित तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मण तिवारी, निवासी मकान नं0–289जे/3 अल्लापुर तिलक नगर, थाना जार्जटाउन, जनपद प्रयागराज की ओर से मु0नं0–209/2025, मु0अ0सं0–190/2024, धारा–85, 115(2), 352, 351(3), 82(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना जार्जटाउन, जनपद–प्रयागराज में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(पंकज श्रीवास्तव)
(आई.डी. नं0–यू0पी0 2668)
अपर विशेष न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, प्रयागराज।

Digitally signed by PANKAJ SRIVASTAVA
Date: 2026.08.03 19:05:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court